तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11/11/24 पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित है आज पीठासीन अधिकारी महो. अवकाश/भ्रमण पर होने से पत्रावली आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 3/1/2025 को पेश हो। रीडर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर	

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 78/2024

अनवान *नारायणराम व अन्य बनाम हरचन्दराम वगैरा*

03.01.25

वकील अपीलांट उपस्थित। उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपीलांट्स ने तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 02/2024 अनवान हरचन्दराम बनाम नारायणराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.02.2024 बाबत ग्राम शिकारपुरा का ना0क0सं0 85 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकट तथ्यों के आधार पर इस मामले में न्यायालय हाजा के समक्ष निम्नांकित 3 अन्य अपीलें प्रस्तुत हुई थी :–

1. राजस्व अपील सं0 36/2024–रवि व अन्य बनाम स्व0 रघनाथराम के वारिसान वगैरा विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 06.02.2024 राजस्व अपील सं0 10/2022 अनवान स्व0 रूघनाथराम के वारिसान बनाम नारायणराम वगैरा
2. राजस्व अपील सं0 42/2024–नारायणराम व अन्य बनाम हरचन्दराम वगैरा विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 06.02.2024 राजस्व अपील सं0 10/2022 अनवान स्व0 रूघनाथराम के वारिसान बनाम नारायणराम वगैरा
3. राजस्व अपील सं0 74/2024–रवि व अन्य बनाम स्व0 रघनाथराम के का0मु0 वगैरा विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अ.) लूणी दिनांक 26.02.2024 रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 02/2024 अनवान हरचन्दराम बनाम नारायणराम वगैरा बाबत ग्राम शिकारपुरा का ना0क0सं0 85

उक्त अपीलों की सुनवाई एक साथ होने से इनका निस्तारण

एक ही संयुक्त निर्णय दिनांक 04.11.24 द्वारा विस्तृत रूप से पारित किया जा चुका है।

निर्णयानुसार उपरोक्त अपीलें स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 10/2022 अनवान स्व0 रूघनाथराम के वारिसान व अन्य बनाम नारायणराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2024 को अपास्त किया गया। साथ ही उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा रिमाण्ड नामान्तरकरण प्रकरण सं0 02/2024 अनवान हरचन्दराम बनाम नारायणराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.02.2024 को अपास्त करते हुए, सरपंच ग्रा0पं0 शिकारपुरा द्वारा स्वीकृत ग्राम शिकारपुरा के नामान्तरकरण सं0 85 को पुनः बहाल किया गया।

अतः उक्त संयुक्त निर्णय दिनांक 04.11.24 के परिप्रेक्ष्य में यह विचाराधीन अपील प्रकरण निस्तारित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03 जनवरी, 2025 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

03.01.25

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर